

पत्रावली वाला  
का पेशा है।

30/7/24

पत्रावली पेश हुई वहीं अभ्यपसकारान् उपस्थित  
पत्रावली लाइकी कधीर की रिपोर्ट पेश हुई  
जिसमें बसरा नं० 119 के सीमाभान हेतु काकी  
ब. नं० 115, 118, 120, 119 के चौमडा का मुक्तिमिल  
बिदु नाग गया है। सहायक अभिलेख PWD की  
रिपोर्ट प्राप्त हुई शाहपत्रा की गई जिसमें  
रिपोर्ट की मूलतः चौमडा 3.75 M के इमरीम  
हेतु आवश्यक लानी गई। पत्रावली वाला  
कादिनांक 08/8/24 का पेशा है।

8/8/24

पत्रावली पेश हुई वकील अचकार अन्य  
में बसरा नं० 119 पर है। पत्रावली गत  
आदेशनुसार दिनांक 12/8/24  
को पेश है।

12/8/24

पत्रावली पेश हुई वहीं अभ्यपसकारान् उपस्थित  
अभ्यपसकारान् की दिनांक 25/7/24 की बटस  
की रिपोर्ट पत्रावली  
की सीमाभान रिपोर्ट बसरा नं० 119 एवं मुक्तिमिल  
मुक्तिमिल की स्थिति, सार्वजनिक निर्माण विभाग की  
Stakeholder Report, के उपरान्त स्वयं व्यापार  
द्वारा की दिनांक 08/8/24 की मीका देना  
गया मीका पर PWD द्वारा सड़क निर्माण  
कार्य रका हुआ है रास्ता सार्वजनिक है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  रघुवीर / जगरूप	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/8/24	<p>           प्रभाजन हेतु उपयोग आ रहा है। दिनांक            25/3/24 को ग्राहकवासीयों की तरफ से            रास्ते को लेकर प्रतीना पत्र की पेश हुआ है।            विवादग्रस्त खसरी है दक्षिणी दिशा में खसरा सं.            260/158 इय की जमीन मौजूद है जहाँ लगभग            8.50M रास्ता खुला हुआ है। वर्तमान में खसरा            सं. 165 (मकान निर्माण) एवं परिषदी खसरा सं.            116 के मध्य 2M चौड़ाई का रास्ता कोर्ट            अप्पण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 29/4/24            की पालना में खुला हुआ है। पूर्व में खसरा सं.            116 का 2 बार सीमाज्ञान है चुका है। जिसकी            रिपोर्ट संलग्न है।            पूर्व के नक्शों में दोनों खसरों के मध्य में आम            रास्ता मौजूद है तथा उपभोक्तागार की खसरा            सं. 165 व 116 के मध्य गैरमुयस्ता 257/57            की मौजूदगी पर कोई ऐतरज पेश नहीं कर रहे।            चुकि प्रकरण सार्वजनिक हित है जुड़ा हुआ है।            पत्राचार सन्न उपरान्त की प्रार्थी कोई मुठता            साध्य एवं तार्किक जबाब पेश नहीं कर            पाया अतः न्यायालय सन्नी रिपोर्ट के अन्तर्गत            एवं अद्वय के आधार पर खसरी सं. 165            में खने मकान की पारदीवारी व शौचालय            निर्माण को रास्ते से पूर्व दिशा की ओर            2M हटाने के निर्देश देती है। साथ ही खसरा            सं. 257/57 में रास्ता निर्माण पर कोई ऐतरज            नहीं है। प्रकरण सार्वजनिक हित के मद्देनजर            प्रार्थीग 5 दिवस आदेश से निर्माण द्वारा अन्वया            Aem Pwd, तहसीलदार समुत्तोरूप से निर्माण            द्वारा सन्नी निर्माण कार्य करे। निर्णय सरे जलास            हुआ गया पत्रावली जैसल शुभार है नम्बर            है कम है।         </p>	<div style="text-align: center;"> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px;">222</span>  <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px;">2023</span> </div>